बाल मजदूरी मिटे यहां - पूरी हो शिक्षा जहां

उत्तर प्रदेश सरकार

बाल श्रम के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

समुदाय के प्रभावशाली लोग जैसे ग्राम प्रधान, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य, शिक्षक, स्वयं सहायता समूहों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए

Year of Production : 2013

विषय-वस्तु

परिचय	v
पृष्ठभूमि	1
कानून और अधिनियम	5
संस्थागत तंत्र	7
भूमिकाएं और दायित्व	12

परिचय

देश के हर कोने में, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी, आपकी नजर ऐसे बच्चे पर जरूर कभी गई होगी जिसकी उम्र स्कूल जाने की हो, परन्तु वह किसी व्यवसाय में लगा या लगी हुई है। ये बच्चे खेतों में काम करते पाये जाते हैं, या फिर पन्सारी या चाय की दुकान, होटलों और ढाबों पर।

भारत के संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाना, खदान या किसी जोखिम पूर्ण उद्योग में लगाने पर प्रतिबंध है। इन प्रावधानों के बावजूद बाल श्रम लगभग हर क्षेत्र में एवं हर उद्योग में दिखाई देता है।

इस पुस्तिका का उद्देश्य आपको और व्यापक समुदाय को बाल श्रम के विभिन्न कानूनी पहलूओं; बाल श्रम उन्मूलन हेतू स्थापित संस्थाओं की कार्य – प्रक्रियाओं और साथ ही विभिन्न अधिकारियों और संस्थाओं और संचार माध्यमों की भूमिकाओं से अवगत कराना है। आपके द्वारा निभाई जाने वाली सक्रिय भूमिका से न केवल बाल श्रम की रोकथाम और उन्मूलन में काफी मदद मिल सकती है, बल्कि व्यापक आधार पर समुदाय को प्रभावित करने में भी आप महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

हम आशा करते हैं कि यह पुस्तिका आपके लिए एक ऐसा उपयोगी साधन सिद्ध होगी जिसके माध्यम से आप अपनी भूमिकाओं को बेहतर ढंग से निभा सकेंगे और समुदाय को बाल श्रम के विषय पर और ज्यादा जागरूक बना सकेंगे।

पृष्ठभूमि

बाल श्रम क्या है?

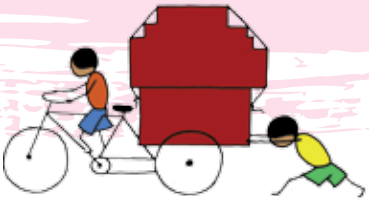

कोई भी ऐसा कार्य जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को उनके बचपन, संभावित क्षमता और सम्मान से वंचित करता है; और जो उनके शारीरिक तथा मानसिक विकास के लिये नुकसानदेय है, उसे बाल श्रम कहते हैं।

इसका मतलब है ऐसा काम –

- जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और नैतिक रूप से बच्चे के लिए खतरनाक तथा नुकसानदेह है
- जो निम्न रूपों में विद्यालय में उसकी शिक्षा में बाधा डालता है:
  - ✓ विद्यालय में उपस्थित होने के अवसर से उन्हें वंचित करे;
  - ✓ उन्हें बीच में ही स्कूल की पढ़ाई छोड़ने को मजबूर करे; या
  - ✓ उन्हें विद्यालय में उपस्थिति के साथ–साथ काफी समय तक भारी काम करने के लिए मजबूर करे
- जो वेतन कमाने के लिए किया जाता है जैसे – घरेलू व्यवसाय में हाथ बटाना, चाय की दुकानों/ढाबों पर काम करना आदि।

उत्तर प्रदेश में बाल श्रम की क्या स्थिति है?

जनगणना, 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या 8 करोड़ 25 लाख थी तथा यहां काम करने वाले बच्चों की संख्या 19 लाख 27 हजार थी। यह संख्या देश की कुल बाल कार्यशक्ति का लगभग 20 प्रतिशत है।

बच्चे अनेक उद्योगों में वेतन कमाने के लिए कार्य करते हैं। इनके अधिकार में बाल श्रम की दृष्टि से जोखिमपूर्ण उद्योगों को वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा इन बच्चों को काफी कम मानदेय मिलता है। अधिकतर बच्चे अनौपचारिक, गृह–आधारित कार्य में संलग्न हैं जिसकी वजह से उनका पता लगाना और उन पर नजर रखना मुश्किल हो जाता है।

बच्चों को काम पर रखने वाले विभिन्न उद्योग इस प्रकार हैं:

- कालीन उद्योग
- साड़ी बुनाई
- कढ़ाई
- पीतल के बर्तन और सामान बनाने का उद्योग
- ईंट भट्टा उद्योग
- बीड़ी उद्योग
- पत्थर की घिसाई
- खनन/पत्थर खदान
- कृषि
- लघु वन उत्पाद एकत्र करना
- होटल/ढाबा
- घरेलू कार्य
- कचरा बीनना
- भीख मांगना
- ऑटोमोबाइल
- निर्माण उद्योग

देश की कुल बाल कार्यशक्ति का लगभग **20%** उत्तर प्रदेश में है

बाल श्रम के मुख्य कारण क्या हैं?

1. **गरीबी एवं शिक्षा के अवसरों की कमी**
   - गरीबी और निरक्षरता जैसे आर्थिक और सामाजिक कारण।
   - अपने बच्चों के अधिकारों की पूर्ति कर पाने में परिवारों और समुदायों की – खास कर सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों की सीमित क्षमता।
   - शिक्षा की निम्न गुणवत्ता और स्कूल में असमानता सम्बन्धी मुद्दे।

2. **जातिगत असमानता**
   - जाति, लिंग, सत्ता संबंधित जैसे सामाजिक व सांस्कृतिक कारण।

3. **जागरूकता**
   - बाल अधिकारों और बाल संरक्षण के बारे में परिवारों, समुदायों और सेवा प्रदाताओं के बीच अपर्याप्त जागरूकता।
   - माता–पिता और समुदाय द्वारा शिक्षा के दीर्घकालिक लाभ को समझ न पाना।
   - परिवारों को सामाजिक कल्याण योजनाओं और अन्य अनुदानों का अपर्याप्त ज्ञान या उन तक सीमित पहुंच।

4. **सस्ता श्रम/मानव संसाधन**
   - बच्चों को आसानी से उपलब्ध होने वाले मानव संसाधन माना जाता है, उनका श्रम सस्ता होता है और वे अपने अधिकारों के प्रति नहीं लड़ पाते।

5. **राजनैतिक/नीतियां**
   - बाल संरक्षण कानूनों का कड़ाई से लागू न किया जाना और बाल संरक्षण ढांचों का कमजोर होना।
   - सामुदायिक कार्यवाही का अभाव, अक्सर पंचायतें और ग्राम सभा इस मुद्दे को प्राथमिकता नहीं देतीं।

बाल श्रम के अलग-अलग रूप क्या हैं?

मूल रूप से बाल श्रम के निम्न पांच रूप हैं:

- जोखिमपूर्ण कार्य जो बच्चे के शारीरिक, मानसिक और नैतिक कल्याण को खतरे में डालता है। इसके अंतर्गत पत्थर घिसाई, भवन निर्माण, खनन और कांच के बर्तनों के उद्योग शामिल हैं।
- गुलामी, मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी आदि जैसे भी बाल श्रम के निम्नतम रूप हैं। इसके अलावा लड़ाई के लिये और अनैतिक कार्यकलापों में बच्चों को जोर जबरदस्ती भर्ती करना।
- बच्चों द्वारा ऐसा कार्य करना जो उस कार्य के लिये निर्धारित आयु से कम आयु का है। यह कार्य बच्चे की शिक्षा और पूर्ण विकास को बाधित कर सकता है।
- पारिवारिक आमदनी में योगदान या ऐसे बच्चे जिनके परिवार उनकी आमदनी पर निर्भर हो।
- बाल श्रम का छिपा हुआ रूप जैसे कि गृह–आधारित काम (जैसे कृषि का काम) करने वाले बच्चे।

कानून और अधिनियम

बाल श्रम की रोकथाम और उन्मूलन के लिये महत्वपूर्ण कानून या अधिनियम क्या हैं?

- **बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986:** कारखानों, खदानों और खतरनाक व्यवसायों तथा प्रक्रियाओं में 14 साल से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबन्ध लगाता है और अन्य रोजगारों में बच्चों के काम करने की स्थिति को नियंत्रित करता है। अधिनियम के अनुसार 13 खतरनाक व्यवसायों और 57 प्रक्रियाओं को सूचीबद्ध करता है। इस अधिनियम को लागू करने के लिये राज्य सरकार उचित प्राधिकरण है जबकि, राज्य में श्रम विभाग को लागू करने का अधिकार है।

- **कारखाना अधिनियम, 1948:** यह अधिनियम किसी भी फैक्ट्री में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम पर रखना, निषेध करता है। इसमें यह नियम भी बताये गये हैं, कि 15–18 वर्ष के नाबालिगों को कब और कितने समय काम पर रखा जा सकता है।

- **खान अधिनियम, 1952:** यह अधिनियम 18 साल से कम उम्र के किशोर या बच्चे को किसी खदान में काम करने से प्रतिबंधित करता है।

- **बच्चों के अधिकार, संयुक्त राष्ट्र महासभा (20 नवम्बर 1989 को पारित):** 11 दिसंबर 1992 को भारत ने बच्चों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र महासभा पर हस्ताक्षर कर उसकी पुष्टि की थी और इस संबंध में नियमित समय पर रिपोर्ट भी भेजता है। इस अधिनियम के अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत "शामिल देश आर्थिक शोषण और जोखिम भरे अथवा बच्चे की शिक्षा में बाधा डालने वाले अथवा बच्चे के स्वास्थ्य अथवा शारीरिक, मानसिक आध्यात्मिक, नैतिक या सामाजिक विकास

के लिये हानिप्रद कार्यों में संरक्षण बच्चों के अधिकार को मान्यता देते हैं। इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये विधायी, प्रशासनिक, सामाजिक और शैक्षिक उपाय करेंगे। रोजगार के लिये न्यूनतम आयु अथवा विभिन्न रोजगारों के लिये अलग–अलग न्यूनतम आयु निर्धारित करेंगे।"

- **किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000:** यह अधिनियम जोखिमपूर्ण व्यवसाय में या बंधुआ मजदूरी पर बच्चों को काम पर रखने को अपराध घोषित करता है जिसके लिए कारावास की सजा हो सकती है।

- **बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009:** इस अधिनियम के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक आस–पड़ौस के किसी विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।

  - ✓ कभी भी विद्यालय में प्रवेश न लेने वाले या बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों को आयु के उपयुक्त कक्षाओं में प्रवेश देना और अन्य बच्चों के समक्ष आने के लिये उन्हें विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना।
  - ✓ दोपहर का भोजन, निःशुल्क ड्रेस, किताबें–कॉपियां और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना।
  - ✓ विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन जो विद्यालय के प्रबंधन, अनुदान उपयोग तथा शिक्षा की गुणवत्ता की निगरानी के लिये उत्तरदायी होगी।
  - ✓ शारीरिक–मानसिक रूप से बच्चे को पीड़ित नहीं किया जायेगा। उसके साथ भेदभाव नहीं किया जायेगा और उसे स्कूल से भी नहीं निकाला जायेगा।

संस्थागत तंत्र

बाल श्रम के उन्मूलन और रोकथाम के लिये संस्थागत कार्यतंत्र क्या-क्या हैं?

समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) योजना के अन्तर्गत स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा

इस योजना को 2 अक्टूबर 1975 में प्रारम्भ किया गया। आज आई.सी.डी.एस. योजना प्रारम्भिक बाल विकास का सबसे बड़ा और अनूठा कार्यक्रम है। यह परियोजना संबंधित बच्चों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है कि– भारत का रूख एक तरफ स्कूल पूर्व शिक्षा प्रदान करने की चुनौती और दूसरी तरफ कुपोषण, रोगों, सीखने की क्षमता को बढ़ाना तथा मृत्युदर को कम करना है।

इस योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- छह साल तक के बच्चों में पोषण और स्वास्थ्य के स्तर में वृद्धि करना।
- बच्चों के मनोवैज्ञानिक, भौतिक और सामाजिक विकास के लिये उचित नींव रखना।
- मृत्यु, रोग–ग्रस्तता, कुपोषण और स्कूल से छूटने की घटनाओं को कम करना।
- बाल विकास को प्रोत्साहित करने के लिये विभिन्न विभागों के साथ नीति और कार्यान्वयन का प्रभावी समन्वय स्थापित करना।
- बच्चे के स्वास्थ्य और पोषण जरूरतों को पूरा करने के लिये उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा माता की क्षमता को बढ़ाना।

समेकित बाल संरक्षण योजना (ICPS)

समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.) भारत सरकार की एक केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य बच्चों को एक सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है। यह बच्चों की कुशल व प्रभावी सुरक्षा की व्यवस्था विकसित करने में सरकार/राज्य के दायित्वों में योगदान देगी। यह योजना 'बाल अधिकारों की सुरक्षा' तथा 'बच्चे के सर्वोच्च हित' के बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है।

इस योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- आवश्यक सेवाओं को संस्थापित कर ढांचागत मजबूती प्रदान करना।
- सभी स्तरों पर क्षमतावर्धन करना।
- बाल संरक्षण सेवाओं हेतु डाटाबेस (आंकड़ों पर आधारित) एवं ज्ञान आधार सृजित करना।
- बाल संरक्षण परिवार व समुदाय स्तर पर मजबूत करना।
- विभिन्न क्षेत्रों से सभी स्तरों पर उपयुक्त प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना।
- जन जागरूकता बढ़ाना।

सर्व शिक्षा अभियान

सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण की उपलब्धि के लिये एक समयबद्ध तरीके से प्रमुख कार्यक्रम है। भारत के संविधान में 86वें संशोधन के रूप में 6–14 वर्ष के बच्चों के लिये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है।

इस योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- सभी बच्चों का नामांकन स्कूलों में, शिक्षा गारन्टी केन्द्र, वैकल्पिक स्कूलों में एवं "बैक–टू स्कूल" कैम्प 2005 में हो।
- उच्च प्राथमिक स्तर के सभी बच्चों की धारण शक्ति 2010 तक बढ़ाना।
- नामांकन, धारण क्षमता और सीखने के प्रति सामाजिक असमानता और लिंग भेद को दूर करना।

- प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के सीखने की उपलब्धि के स्तरों में महत्वपूर्ण वृद्धि सुनिश्चित करना।

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना

- सरकार ने देश के 12 प्रकोप वाले ज़िलों में काम करने वाले बच्चों के पुनर्वास के लिये 1988 में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP) शुरू की थी।
- इस योजना के अन्तर्गत खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में काम करने वाले बच्चों का सर्वेक्षण तथा पुनर्वास किया गया है। इन बच्चों को विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रवेश दिलाया जाता है ताकि बाद में उन्हें औपचारिक स्कूली शिक्षा प्रणाली में सक्षम बनाया जा सके।

श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश

- बाल श्रम की रोकथाम के लिये, विभाग को एक उपयुक्त वातावरण तैयार करना चाहिये। बाल श्रम की रोकथाम के संदर्भ में श्रम विभाग को, विभिन्न नियोजन और कार्यान्वयन कार्यकलापों के लिये, विभिन्न विभागों (आई.सी. डी.एस., स्वास्थ्य, पुलिस, प्रशासन, शिक्षा विभाग आदि) के साथ समन्वय करना होगा। उसे बाल श्रमिकों के बचाव में भागीदारी कर बचाये गये बाल श्रमिकों को, सी.डब्ल्यू.सी. या स्वास्थ्य विभाग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा ताकि उनकी आयु और स्वास्थ्य स्थिति का प्रमाणित कर, उनके उपयुक्त पुनर्वास की व्यवस्था की जा सके।
- श्रम विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश में कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उदाहरण के लिये ''कंडीशनल कैश ट्रांसफर योजना'' जिसमें बाल श्रमिकों को शिक्षा से जोड़ने एवं कक्षा 5 तक निरंतर शिक्षा देने के लिये आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

चाइल्डलाइन

चाइल्डलाइन क्या है?

यह देखभाल व सुरक्षा के जरूरतमंद बच्चों के लिए चलायी जा रही 24 घंटे की आपातकालिन फोन सहायता सेवा है। यह पूरे देश में निःशुल्क उपलब्ध है। इसके लिए 1098 पर फोन किया जा सकता है। सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय की यह सकारात्मक परियोजना 1996 में शुरू की गयी थी और इस बीच यह गैर–सरकारी संगठनों, राज्य सरकारों, यूनिसेफ और कॉरपोरेट क्षेत्र की व्यापक साझेदारी बन चुकी है।

चाइल्डलाइन अपने आपको एक राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नेटवर्क मानती है जिसके पास दीर्घकालिक सेवाओं तक पहुंच है। यह चाइल्डलाइन संकट में फंसे बच्चों को मदद मुहैया कराती है।

उन सभी बच्चों की देखभाल और सुरक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता है जो बच्चे विशेष रूप से कमजोर वर्ग के हैं:

- गली–कूचों में रहने वाले बच्चे और युवा जो अकेले रहते हैं
- असंगठित और संगठित क्षेत्रों में काम कर रहे बाल श्रमिक
- घरेलू काम के लिए सहायक, विशेष रूप से लड़कियां
- शारीरिक/यौन/भावनात्मक रूप से परिवार, स्कूल या संस्थान में बुरे बर्ताव से प्रभावित बच्चे
- वे बच्चे जिनको भावनात्मक समर्थन और मार्गदर्शन की जरूरत हो
- व्यावसायिक यौनकर्मियों के बच्चे
- देह व्यापार के बाल पीड़ित
- बच्चों के अवैध व्यापार से पीड़ित बच्चे
- माता–पिता या अभिभावक द्वारा छोड़ दिए गए बच्चे
- लापता बच्चे
- भागे हुए बच्चे
- नशीले पदार्थ लेने के शिकार हुए बच्चे
- विकलांग बच्चे
- कानूनी झगड़ों में फंसे बच्चे
- संस्थानों में कार्यरत बच्चे
- मानसिक रूप से विकलांग बच्चे
- एच.आई.वी./एड्स से संक्रमित बच्चे
- संघर्ष और आपदा से प्रभावित बच्चे
- राजनीतिक शरणार्थी बच्चे
- वे बच्चे जिनके परिवार संकट में हैं

भूमिकाएं और दायित्व

वे विभिन्न साझेदार कौन हैं जिनकी सक्रिय भूमिका से बाल श्रम की रोकथाम और उन्मूलन में मदद मिल सकती है?

जिलाधिकारी

- बाल श्रम की रोकथाम के लिए सभी संबंधित विभागों में उचित समन्वय सुनिश्चित करना जिलाधिकारी की जिम्मेदारी है।
- बाल श्रम से संबंधित किसी भी कार्यवाही के प्रति, श्रम विभाग की ओर से एक सुझाव पत्र भी जिलाधिकारी को दिया जाता है जिसमें कार्य योजना होती है और इसी के आधार पर जिलाधिकारी नोटिस जारी करता है।
- विशेष तौर पर बाल श्रम की रोकथाम की लिये, बाल श्रमिकों को मुक्त और उनका पुनर्वास कराने के लिए कदम उठाना।

श्रम विभाग

- यह सुनिश्चित करना कि क्षेत्र में कोई भी बच्चा जो 14 वर्ष की आयु से कम का हो, किसी प्रकार का श्रम नहीं करेगा/करेगी।
- 14–18 वर्ष का कोई भी बच्चा जोखिम उद्योग में श्रम नहीं करेगा/करेगी।
- यह सुनिश्चित करना कि, जिले के भीतर सभी बाल श्रम कानूनों को लागू किया जाये।
- यह सुनिश्चित करना कि हर हितधारक, बाल श्रम की रोकथाम हेतु अपने निर्धारित दायित्व निभाये।

शिक्षा विभाग

- जो बच्चे शैक्षिक प्रणाली से बाहर हो उन पर निगाह रखना और स्कूली शिक्षा को गुणवत्ता परक व रूचिकर बनाना।
- स्कूल में बच्चों की निरंतरता पर निगाह रखना।
- श्रमिक बच्चों को शैक्षिक मुख्यधारा से जोड़ना।

मीडिया

- बाल श्रम के मुद्दों पर नियमित रूप से लेख लिखना और स्थानीय समुदाय की आवाज उठाना, संवेदनशील बनाना एवं पैरवी करना।
- बाल श्रम के मामलों को विशेषकर जोखिमपूर्ण कार्यकलापों में बाल श्रमिकों के मामले को प्रमुखता से सामने रखना।
- बाल श्रम के मुद्दे पर कार्रवाई के लिये प्रशासन पर अप्रत्यक्ष दबाव डालना।

सामाजिक संस्थाएं

- समाज में बाल श्रम को चिन्हित कर बाल अधिकारों और नीति निर्धारण के लिये पक्षों को जोड़कर पैरवी करना।
- विभिन्न पहलों और आंदोलनों की सर्तकता से शुरूआत करना।
- समुदाय का क्षमतावर्धन करना और संवेदनशीलता बढ़ाना।

पुलिस

- बाल श्रमिकों की पहचान और शैक्षिक प्रक्रियाओं से जोड़ना।
- श्रम आयुक्त के साथ मिलकर विभिन्न स्थानों पर छापे मारना।
- बच्चों को बाल मजदूरी से बचाना और सुरक्षित रूप से उन्हें बाल कल्याण समिति को सौंपना।
- जिले में और विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां बच्चों से मजदूरी कराई जाती है, उपयुक्त चौकसी बरतना।

बाल कल्याण समिति

- बच्चों के कल्याण को सुनिश्चित करना और बच्चों की सुरक्षा और भलाई के लिये प्रभावित करने वाले सभी मुद्दों की आवश्यक जांच का संचालन करना है।
- जरूरतमंद बच्चों की देखभाल व सुरक्षा, उपचार, विकास व पुनर्वास के मामलों में सर्वोच्च संस्था बाल श्रमिकों को मुक्त कराकर, खोये हुये अथवा अनाथ बच्चों को प्रशासन के सामने लाना या उन तक पंहुचाना।
- ऐसे बच्चे गैर–कानूनी गतिविधियों में फंसे बच्चों या किसी अपराध के शिकार अथवा प्रत्यक्षदर्शी बच्चों से भिन्न श्रेणी में आते हैं।

बाल संरक्षण समिति (सी.पी.सी.)

इस समिति का मुख्य कार्य बाल श्रम को रोकना तथा श्रमिकों को श्रम के क्षेत्रों से निकाल कर समाज की मुख्य धारा में लाना है ताकि इन बच्चों को भी समान मौके मिलें और वे दूसरों की तरह सामान्य जीवन व्यतीत कर सकें। यह समिति तीन स्तरों पर कार्य करती है; ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर व जिला स्तर।

इस समिति की मुख्य भूमिकाएं इस प्रकार हैं:

- बाल श्रम एवं बाल तस्करी को रोकना तथा इससे जुड़े मामलों पर जन सामान्य में जागरूकता लाना।
- बच्चों के संदर्भ में हुई हिंसा, शोषण के मामलों को संबंधित अधिकारी के पास ले जाना एवं आवश्यक कदम उठाना।
- समुदाय को बच्चों की सुरक्षा योजनाओं की जानकारी देना व क्रियान्वयन पर निगरानी रखना, उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिये संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर उन्हें स्थिति से भली–भांति अवगत कराना।

ग्राम प्रधान

- यह सुनिश्चित करना कि समुदाय के भीतर बच्चों से श्रमिकों के रूप में काम कराने की घटनाएं न हों एवं पता लगने पर, पुलिस या बाल कल्याण समिति को उसकी जानकारी देना।
- बाल श्रम और शिक्षा के महत्व के बारे में, समुदाय के बीच जागरुकता पैदा करना।
- यह सुनिश्चित करना कि, समस्त सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं का उपयुक्त प्रकार से कार्यान्वयन हो तथा उनके लाभ विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों तक पहुंचें।
- स्कूल में ऐसा प्रेरक वातावरण, बुनियादी सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना, जिनकी वजह से स्कूल आने में बच्चों की रुचि पैदा हो और स्कूल से छूटने वाले बच्चों की संख्या कम हो या शून्य हो।

विद्यालय प्रबंधन समितियां

- इसका मुख्य दायित्व स्कूल के कामकाज की निगरानी और उसके वित्तीय कार्य का प्रबंधन करना है।
- यह सुनिश्चित करना कि स्कूल के सभी कर्मचारी बच्चों को पढ़ाई का वातावरण प्रदान करने के लिये अपनी जिम्मेदारियां निभायें।
- बच्चों के शोषण या उनके साथ हिंसा के मुद्दों/घटनाओं के बारे में उपयुक्त अधिकारियों को सूचित करना।
- बाल संरक्षण योजनाओं के बारे में जागरुकता पैदा करना और इस संबंध में उपयुक्त जानकारी प्रदान करना कि, ऐसे मामलों में किन अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है।

शिक्षक

- शिक्षा के महत्व पर तथा बच्चों को काम पर भेजने के दीर्घकालिक दुष्प्रभावों के बारे में, समुदाय के बीच जागरुकता फैलाना।
- समुदाय के सदस्यों को उनके बच्चों को नामांकन के लिये, स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें समझाना कि बच्चों की पढ़ाई जारी रखें, बीच में न छुड़वायें।
- यह सुनिश्चित करना कि, बच्चे के साथ जाति, धर्म, निर्धनता आदि आधार पर स्कूल प्रशासन की ओर से या अन्य बच्चों द्वारा भेदभाव न किया जाये।
- यह सुनिश्चित करना कि दोपहर का भोजन, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और पोशाकें तथा छात्रवृत्ति जैसी शिक्षा से जुड़ी सरकारी योजनाओं को प्रभावकारी तरीके से कार्यान्वित किया जाये।

धार्मिक नेता

- बाल श्रम और शिक्षा के मुद्दों को ग्राम सभा की बैठकों में उठाना ताकि इन मुद्दों को लेकर समुदाय में जागरुकता पैदा हो।
- ग्राम प्रधान, स्वयं सहायता समूहों, समुदाय आधारित संगठनों के साथ नियमित बैठकों में भाग लेना और समुदाय के भीतर बाल श्रम की रोकथाम में सहायता करना।

स्वयं सहायता समूह और किशोरी समूह

- शिक्षा के महत्व और बाल श्रम के दीर्घकालिक के दुष्प्रभावों के बारे में समुदाय को ज्ञान प्रदान करना।
- ग्राम प्रधान, धार्मिक नेताओं, स्वयं सहायता समूहों, समुदाय आधारित समूहों के साथ, नियमित रूप से बैठकों में भाग लेना और समुदाय में बाल श्रम पर रोक लगाना।

उद्योगों के मालिक/ठेकेदार

- अपने कार्यस्थल में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाना।

माता-पिता, देखभालकर्ता और सामान्य समुदाय के सदस्य

- बच्चे को काम पर भेजने के दीर्घकालिक प्रभावों और नुकसान का जानकारी होना।
- शिक्षा के महत्व को समझना और बच्चों को स्कूल भेजना।
- विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं और अनुदानों का ज्ञान होना तथा उनको लाभ सुलभ कराना।

कई परिवारों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को कैसे हल किया जा सकता है?

उन्हें स्पष्ट रूप से यह बताना चाहिए कि, ग्राम/पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान या पंचायत सचिव, योजनाओं की सुलभता के लिये संपर्क व्यक्ति होते हैं। अगर किसी परिवार को किसी कल्याणकारी योजना का लाभ प्राप्त करने में कठिनाई होती है तो उसे उनसे संपर्क करना चाहिये।

मनरेगा के मामले में अगर कोई समस्या सामने आती है तो, पंचायत रोजगार सेवक से संपर्क करें अगर समस्या इस स्तर पर भी हल नहीं होती तो शिकायतकर्ता, ग्राम प्रधान/पंचायत सचिव और ब्लॉक स्तर पर ए.डी.ओ./बी.डी.ओ. के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।

बच्चों से काम करवाने के संबंध में माता-पिता को रोकने के लिये क्या किया जा सकता है?

माता–पिता को यह समझाया जाना चाहिये कि, बाल श्रम कठिन शारीरिक मेहनत की मांग करता है और यह बच्चों को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रभावित करता है। उन्हें यह भी समझाया जाना चाहिये कि, बच्चों के माध्यम से आय प्राप्त करना कोई स्थायी समाधान नहीं है और कानूनी रूप से इसकी अनुमति भी नहीं है।

साथ ही उन्हें यह समझाया जाना चाहिये कि, शिक्षा के दीर्घकालिक लाभ होते हैं और शिक्षा ही निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़ सकती है। समुदाय को राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारियों द्वारा, संचालित समाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देनी चाहिये। ये प्रमुख योजनाएं इस प्रकार हैं: मनरेगा, जन वितरण प्रणाली, अंत्योदय योजना, स्वास्थ्य बीमा योजनाएं, शिक्षा अधिकार अधिनियम, दोपहर का (मध्यान्ह) भोजन योजना, मुफ्त ड्रेस और पाठ्य पुस्तकों की योजनायें, बच्चों के लिये छात्रवृत्तियां आदि।

Concept and Design: New Concept Information Systems Pvt. Ltd., New Delhi

Department of Labour
Government of Uttar Pradesh
Lucknow

Supported by

unicef

unite for children